<u>रजिस्</u>ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228528 CG-DL-E-28072021-228528

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2774] No. 2774] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

का.आ. 2985(अ).—जबिक संख्या का.आ. 2167 (ई) दिनांक 7 जून, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों को उस अधिसूचना की तारीख से एक महीने के बाद उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों की कतिपय श्रेणियों पर विस्तारित करने के आशय की सूचना दी थी;

और जबिक, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 07 जून, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबिक, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अविध के भीतर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों को 1 अगस्त 2021 से इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों तथा स्तंभ (1) में स्तिथ स्थापनों की श्रेणियों पर विस्तारित करती है, अर्थात्:-

4114 GI/2021 (1)

अनुसूची

स्थापनों का विवरण	क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित हैं	कर्मचारियों की श्रेणी जिन पर यह
		अधिनियम लागू होता है
(1)	(2)	(3)
निन्मलिखित वे स्थापन जिनमें 10 या अधिक	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी	सभी नैमित्तिक एवं संविदा कर्मचारी।
व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में	क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा	
किसी दिन नियोजित थे, अर्थात् -	अधिनियम, 1948 की धारा-1 की उप-	
केन्द्रीय/ राज्य विधान के अंतर्गत स्थापित नगर	धारा (3) पहले से ही लागू किया जा	
निगम/परिषद ।	चुका है।	

[फा. सं. एस-38025/03/2017-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

S.O. 2985(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O. 2167(E) dated the 7th June, 2021, the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 7th June, 2021:

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby extends with effect from the 1st day of August, 2021, the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in column (1) and situated within the areas specified in column (2) of the Schedule hereto, namely;—

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated	Category of employees to whom the Act applies
(1)	(2)	(3)
The following establishments wherein ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, namely:- Municipal Corporations/ Council, established under Central/ State legislation.	Territory of Delhi where Employees' State Insurance Act, 1948 has already been brought into force under	

[F. No. S-38025/03/2017-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.